राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—एफ 4(ई)(एस—387/88) अलेसे—III/586-94. दिनांकः— 26-4-12

आदेश संख्या 28/2012—13

श्री संजय कुमार बाठिया, कनिष्ठ लेखाकार व अन्य के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान कोटा द्वारा अपराध सं. अभियोजन संख्या 58/2002, 60/2002, एवं 61/2002 अंतर्गत धारा भ्र.नि.अ. 1988 की धारा 13(1)(सी)(डी) एवं 13(2) पीसीएक्ट 1988 की धारा 420, 467,471 120बी में दर्ज किये जाने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.2/157/कार्मिक (क—3)/97 दिनांक 10.08. 2001 के अनुसरण में विभागीय आदेश कमांक 15549—559 दिनांक 28.06.2005 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, कोटा में रखा गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री संजय कुमार बांठिया, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में श्री संजय कुमार बाठिया, कनिष्ठ लेखाकार जो दिनांक 28. 06.2005 से निलम्बित चल रहे हैं, को पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से निलम्बन से बहाल किया जाता है तथा बहाली पर इनका पदस्थापन उपकोषाधिकारी, अकलेरा (झालावाड़) में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय एवं विभागीय जांच के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प—2(1) वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

निदेशक 25/4/2012

क्रमांकः—एफ 4(ई)(एस—387/88) अलेसे—III/586-94. दिनांकः— 26-4-12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(1) वित्त/राजस्व /2012 दिनांक 24.04.2012 के क्रम में।
2. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, कोटा ।
4. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
5. कोषाधिकारी, कोटा ।
6. उपकोषाधिकारी, अकलेरा (झालावाड़)।
7. श्री संजय कुमार बाठिया, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित), मुख्यालय कोषालय, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि आप नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर फैक्स द्वारा इस विभाग को सूचित करें।
8. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।
9. निजी सहायक निदेशक।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री महेन्द्र कुमार गोयल, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II)